

SHIL




{2}



॥ श्रीहरिः ॥

1. भूमि का प्रकार : कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम : बैनामा कृषि भूमि मौजा छटीकरा तहसील व जिला मथुरा,
3. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.) : आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नं0-267 खसरा नं0-363 रकबा 2.341 है0 लगानी रुबरु कागजात में से 0.624266 है0 सम्पूर्ण अंश का हिस्सा 1/2 यानि रकबा 0.312133 है0
4. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : रकबा 0.312133 है0
5. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : मुख्य मार्ग व लिंक मार्ग से दूर
6. प्रतिफल की धनराशि : 39,02,000/-रुपये
7. सरकारी मालियत - : 39,02,000/-रुपये
8. देय स्टाम्प-2,73,150/-रुपये ई-स्टाम्प संलग्न है
9. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट 1,25,00,000/-रुपया प्रति है0, जो रेट लिस्ट में पेज नं0-29 क्रमांक 23 कोड नं0-1022 पर दर्ज है, कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक प्रथम मथुरा। विकास शुल्क सीमा के अन्दर

रमेश च. १७



M/s Shree Badrinath Constructions

Raj Prop.



100

100

प्रथम पक्ष विक्रेता

रमेशचन्द अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल निवासी-पुराना बजाजा, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा मो0-9917469426 PAN-AAVPA3087C

द्वितीय पक्ष केता

श्री बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर राहुल सिंघल पुत्र श्री शिवशंकर अग्रवाल निवासी-68, मयूर विहार, धौलीफ्याऊ, मथुरा मो0-9897676006 PAN-CIWPS6269K

जो कि खाता नं0-267 खसरा नं0-363 रकबा 2.341 है0 लगानी रुबरु कागजात में से 0.624266 है0 सम्पूर्ण अंश बाकै मौजा छटीकरा, तहसील व जिला मथुरा, मिलिक्यत प्रथम पक्ष की है, उक्त आराजी खसरा नं0-363 के 1/5 को प्रथम पक्ष को प्रथम पक्ष रमेशचन्द अग्रवाल ने भरतलाल अग्रवाल व राजकुमार अग्रवाल के साथ मिलकर बजरिये बैनामा दिनांक 11.08.2004 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 2837 पृष्ठ 35-58 नं0-7622 पर हुयी है बृजबिहारी व बृजपाल व विनोद पुत्रगण रामबाबू से खरीद किया व खसरा नं0-363 के 1/5 भाग प्रथम पक्ष रमेशचन्द अग्रवाल ने बजरिये बैनामा दिनांक 31.05.2004 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मथुरा में बही नं0 1 जिल्द 2726 पृष्ठ 173-194 नं0-4972 पर हुयी है विश्वपाल सिंह पुत्र गिराज सिंह खरीद किया इस प्रकार उक्त आराजी मिलिक्यत प्रथम पक्ष की है, जिस पर विक्रेता का ही एकमात्र वास्तविक मालिकाना कब्जा है तथा प्रथम पक्ष का नाम सरकारी कागजात राजस्व अभिलेख आदि में दर्ज है, सिवाय विक्रेता

रमेशचन्द

M/s Shree Badrinath Constructions

Rahul
Prop



100
100
100

100



के उक्त कृषि भूमि का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और विक्रेता को उक्त कृषि भूमि की बाबत पूरे मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त कृषि भूमि किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और न ही उक्त कृषि भूमि किसी जगह रहन व गिरवी आदि है और न ही किसी भी प्रकार की अहि गृहण की कार्यवाही में विचाराधीन है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है जो उक्त कृषि भूमि के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रुकावट डाल सके और उक्त कृषि भूमि की बाबत प्रथम पक्ष ने कोई इकरारनामा मुहायदावै पंजीकृत या अपंजीकृत किसी के साथ तय नहीं किया है, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष की ही सम्पत्ति है। प्रथम पक्ष को अपनी जरूरतों के लिये धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी आराजी सम्पूर्ण अंश में से 1/2 भाग को विक्रय कर देना उचित समझा है और इस समय द्वितीय पक्ष खरीददार अच्छी कीमत देकर उक्त कृषि भूमि को क्रय करने को तैयार है। इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है।

चुनांचि अपनी उक्त कृषि भूमि सम्पूर्ण अंश जिसे संलग्न नक्शे में रंग लाल से दिखाया गया है, में से 1/2 आधे भाग को समस्त अधिकारों सहित जो प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी अपने बाएवज 39,02,000/-रु. (उनतालीस लाख दो हजार रुपये) में बदस्त श्री बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन द्वारा प्रोपराइटर राहुल सिंघल पुत्र श्री शिवशंकर अग्रवाल निवासी-68, मयूर विहार, धौलीप्याऊ, मथुरा क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और विक्री कर दी और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से नीचे लिखे अनुसार प्राप्त कर कब्जा व दखल बेची गयी कृषि भूमि पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष कय की गयी उक्त कृषि भूमि के आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गये। वह समस्त अधिकार मालिकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त कृषि भूमि में प्रथम पक्ष व उनके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति बेची गयी कृषि भूमि की मिल्कियत की बाबत दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष क्रेता से निकल जावे या कहीं रहन आदि

रुना 4/3-



M/s Shree Badrinath Constructions

Kaly
Prop.



आवेदन सं०: 202300764023385

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10130

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3902000 स्टाम्प शुल्क- 273150 बाजारी मूल्य - 3902000 पंजीकरण शुल्क - 39020 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 39080

श्री रमेशचन्द अग्रवाल,
पुत्र श्री लक्ष्मन प्रसाद अग्रवाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: पुराना बजाजा वृन्दावन मथुरा

रमेशचंद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08/05/2023 एवं 05:35:13 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ललित कुमार गौड प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा

08/05/2023

अमरसिंह
निबंधक लिपिक
08/05/2023

प्रिंट करे

निकले और उसकी बाबत द्वितीय पक्ष को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े तो प्रथम पक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। द्वितीय पक्ष अपना कीमत का दिया गया रूपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा खर्च किये गये रूपयों को मय सूद के प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों से व उनकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजावत बजरिये अदालत प्राप्त कर ले, इसमें प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों को कुछ उज्र न होगा। उक्त आराजी में कोई पेड कुआं बोरिंग आदि नहीं है, तथा कृषि कार्य हो रहा है उक्त कृषि भूमि विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है विक्रेता व क्रेता अनूसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। स्टाम्पशुल्क, फीस आदि समस्त खर्चा बैनामा क्रेता ने वहन किया है।

विवरण कीमत का कुल रूपया प्राप्ति का :-

कीमत के कुल रूपयों में से प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त किया-
16,51,700/-रूपये यूटीआर नं.-यूटीआईबीआर 52023042700367545 दिनांक 27.04.2023 एक्सिस बैंक व 16,51,700/-रूपये यूटीआर नं०-यूटीआईबीआर 52023042700367548 दिनांक 27.04.2023 एक्सिस बैंक व 5,98,600/-रूपये बैंक नं०-558263 दिनांक 04.10.2022 केनरा बैंक में से समोयोजित किये।

इस प्रकार कुल मीजान-39,02,000/-रूपया प्राप्त किया।

रमेश च. 7



M/s Shree Badrinath Constructions

Kal Prop.



आवेदन सं०: 202300764023385

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 10130

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजगुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री रमेशचन्द अग्रवाल, पुत्र श्री लक्ष्मन प्रसाद अग्रवाल

निवासी: पुराना बजाजा वृन्दावन मथुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

रमेशचंद

श्री श्री बद्रीनाथ कंस्ट्रक्शन के द्वारा राहुल सिंघल, पुत्र श्री
शिवशंकर अग्रवाल

निवासी: 68 मयूर बिहार धौलीप्याउ मथुरा

व्यवसाय: अन्य

रहल



ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री दीपक शर्मा, पुत्र श्री सत्यप्रकाश शर्मा

निवासी: आशानगर कालौनी जयसिंहपुरा मथुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

दीपक



श्री सुरेश, पुत्र श्री विशनबाबू

निवासी: राया मथुरा

व्यवसाय: अन्य

सुरेश



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए है ।
टिप्पणी :ललित कुमार गौड प्रभारी
उप निबंधक : सदर द्वितीय
मथुरा
08/05/2023अमर सिंह
निबंधक लिपिक मथुरा
08/05/2023

प्रिंट करें

{6}

इसलिए यह बैनामा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक में अपनी राजी खुशी से लिख दिया, कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ा व सुना कर, झापट व टाईप कर निबंधन हेतु पक्षकारगण के सुपुर्द किया गया।

दिनांक : 03.05.2023
टाईप किया : दीपक मथुरा।
झापट किया : प्रशान्त शर्मा एडवोकेट, मथुरा

रमेश्वर

M/s Shree Badrinath Constructions


Raj Prop.



गवाह-दीपक शर्मा पुत्र सत्यप्रकाश शर्मा
नि0-आशानगर कालौनी जयसिंहपुरा मथुरा मो0-8923208888




गवाह-सुरेश पुत्र विशनबाबू
नि0-राया मथुरा मो0-9457077190



आवेदन सं०: 202300764023385

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 11854 के पृष्ठ 187 से 200 तक क्रमांक
10130 पर दिनांक 08/05/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


ललित कुमार गौड़ प्रभारी
उप निबंधक सदर द्वितीय
मथुरा
08/05/2023

प्रिंट करें

